

## रसीद

मध्य प्रदेश नगर पालिक अधिनियम १९५६ (क्रमांक २३ सन १९५६) की धारा १३२, ३५, १३६ व १८८ के अन्तर्गत समविष्ट स्वनिर्धारण प्रक्रिया के तहत फॉर्म रजिस्टर (अ) न. म्युनिसिपल फॉर्म न. ५४ नियम ५३ मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (उपकर निर्धारण तथा संग्रह का नियम) नियम १९७१ की धारा १० के अन्तर्गत डिमांड की पंजी में दर्ज है.

## नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)

रसीद न. : 214

रसीद बुक क्र. : 4

वार्ड : 46-डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

मकान न. : B-404, Avenue-144, Opp. Shri Medishine Hospital, New Rajendra Nagar, Raipur

मकान मालिक : Rajesh Kumar

पिता का नाम : Ram Binayak Singh

नाम काबिज : Self

रसीद बावत सम्पति कर, जल कर, स्वच्छता कर, शिक्षा उपकर एवम अग्निशमन कर वार्षिक भाड़ा मूल्य 16-17 संन

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| सम्पति कर :        | 673.5       |
| छूट :              | 26.94       |
| योग:               | 647         |
| समेकित कर :        | 600         |
| जल कर :            | 0           |
| सामान्य जल कर :    | 300         |
| निराश्रित उपकर :   | 150         |
| अतिरिक्त जलकर १% : | 0           |
| अधिभार :           | 0           |
| योग :              | <b>1697</b> |

अक्षरी रुपये में : ONE THOUSAND, SIX HUNDRED AND NINETY-SEVEN ONLY तारीख : 03-12-2016

यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड रसीद है। और किसी भी कानूनी कार्य के लिए इस रसीद का सम्बंधित जोन कार्यालय से सत्यापित होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नगर निगम के जोन कार्यालय से संपर्क करें।

